

फॉर्म 'सी'

(नियम 9 (1) देखें)

सार्वजनिक सूचना

दिवाला और शोधन अक्षमता (निगमित ऋणी के लिए व्यक्तिगत प्रतिभूतियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2019 के नियम 9(1) के अंतर्गत)

सुश्री नाजुक जहां (मेसर्स मल्टीवाल पल्प एंड बोर्ड्स मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के व्यक्तिगत वारंटर) के लेनदारों के ध्यानार्थ

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी कानूनी न्यायाधिकरण ने संहिता की धारा 60 के अंतर्गत दिवालियापन के मामले में सुश्री नाजुक जहां, निवासी 118-119, लाजपत नगर, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश-244001 के विरुद्ध दिनांक 21.05.2025 को दिवालियापन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है (आदेश 30.05.2025 को प्राप्त हुआ)

सुश्री नाजुक जहां के लेनदारों से अनुरोध है कि वे अपने दावे दिनांक 09.06.2025 को या उससे पहले शोधन अक्षमता ट्रस्टी श्री अनिल कोहली के कार्यालय संख्या 409, अंसल भवन, 16 के.जी. मार्ग, कर्नॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में सबूत के साथ प्रस्तुत करें।

लेनदारों के दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 09.06.2025 होगी। लेनदार अपना दावा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या हाथ से या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।

शोधन अक्षमता ट्रस्टी का अतिरिक्त विवरण: श्री अनिल कोहली, कार्यालय संख्या 409 अंसल भवन 16, के.जी. मार्ग, कर्नॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, insolvency@arck.in, 011-45101111, IBI पंजीकरण संख्या IBI/PA-001/IP-P00112/2017-2018/10219, AFA वैधता दिनांक 30.06.2025 तक। पत्राचार ईमेल आईडी: pgmultiwal.btrustee@outlook.com

ध्यान दें: सबूत के साथ झूठे या भ्रामक दावे प्रस्तुत करने पर दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 और किसी भी अन्य लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार दंड या कारावास हो सकता है।

दिनांक : 02.06.2025

स्थान : नई दिल्ली

प्रपत्र 'सी'

(नियम 9(1) देखें)

सार्वजनिक सूचना

दिवाला और शोधन अक्षमता (निगमित ऋणी के लिए व्यक्तिगत प्रतिभूतियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2019 के नियम 9(1) के अंतर्गत)

श्री समीर अहमद खान (मेसर्स मल्टीवाल पल्प एंड बोर्ड्स मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर) के लेनदारों के ध्यानार्थ

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी कानूनी न्यायाधिकरण ने संहिता की धारा 60 के अंतर्गत दिवालियापन के मामले में श्री समीर अहमद खान, निवासी 118-119, लाजपत नगर, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश-244001 के विरुद्ध दिनांक 21.06.2025 को दिवालियापन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है (आदेश 30.06.2025 को प्राप्त हुआ)

श्री समीर अहमद खान के लेनदारों से अनुरोध है कि वे अपने दावे दिनांक 09.06.2025 को या उससे पहले शोधन अक्षमता ट्रस्टी श्री अनिल कोहली के कार्यालय संख्या 409, अंसल भवन, 16 के. जी. मार्ग, कर्नॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में सबूत के साथ प्रस्तुत करें।

लेनदारों के दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 09.06.2025 होगी। लेनदार अपना दावा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या हाथ से या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।

शोधन अक्षमता ट्रस्टी का अतिरिक्त विवरण: श्री अनिल कोहली, कार्यालय संख्या 409 अंसल भवन 16, के.जी. मार्ग, कर्नॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, insolvency@arck.in, 011-45101111, IBBI पंजीकरण संख्या IBBI/PA-001/IP-P00112/2017-2018/10219, AFA कैशता दिनांक 30.06.2025 तक। पत्राचार ईमेल आईडी: pgmultiwal.btrustee@outlook.com

ध्यान दें: सबूत के साथ झूठे या भ्रामक दावे प्रस्तुत करने पर दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 और किसी भी अन्य लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार दंड या कारावास हो सकता है।

दिनांक : 02.06.2025

स्थान : नई दिल्ली